संख्या– 512/सत्तर–2–2023–16(11)/2017 टी0सी0

प्रेषक,

डा0 सुधीर एम0 बोबडे,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. निदेशक,
उच्च शिक्षा, उ0प्र0,
प्रयागराज।

2. कुलसचिव,
समस्त राज्य विश्वविद्यालय,
उत्तर प्रदेश।

3. समस्त जिलाधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

उच्च शिक्षा अनुभाग–2 लखनऊ: दिनांक: 28 फरवरी, 2023

विषय:– उच्च शिक्षा के क्षेत्र में शैक्षिक सत्र 2023–24 के लिये नये महाविद्यालयों/संस्थानों के खोले जाने तथा वर्तमान महाविद्यालयों/संस्थानों में अतिरिक्त विषयों/पाठ्यक्रमों (बी0एड0 पाठ्यक्रम को छोड़कर) को प्रारम्भ करने हेतु अनापत्ति एवं सम्बद्धता प्रस्तावों के ऑनलाइन निस्तारण हेतु समय–सारिणी।

महोदय,

उपर्युक्त संदर्भ में अवगत कराना है कि शासनादेश संख्या–646/सत्तर–2–2022–16(11)/2017टी0सी0 दिनांक 14.07.2022 के माध्यम से उच्च शिक्षा के क्षेत्र में बी0एड0 पाठ्यक्रम के अतिरिक्त नये महाविद्यालयों/संस्थानों के खोले जाने तथा वर्तमान महाविद्यालयों/संस्थानों में स्नातक/स्नातकोत्तर स्तर के अतिरिक्त विषयों/पाठ्यक्रमों को प्रारम्भ करने हेतु शैक्षिक सत्र 2023–24 के लिये अनापत्ति एवं सम्बद्धता हेतु नये आवेदन प्रस्तुत करने और उ0प्र0 राज्य विश्वविद्यालयों द्वारा उनके ऑनलाइन निस्तारण हेतु समय–सारिणी निर्धारित की गयी थी।

2– उक्त शासनादेश दिनांक 14.07.2022 में विश्वविद्यालय में ऑनलाइन जमा किये गये प्रस्तावों के भूमि संबंधी अभिलेखों का राजस्व विभाग से सत्यापन कराये जाने की अंतिम तिथि दिनांक 31.01.2023 निर्धारित थी, परन्तु एन0आई0सी0 द्वारा उपलब्ध कराई गयी सूची (छायाप्रति संलग्न) के अनुसार निर्धारित समय व्यतीत हो जाने के बाद भी कुल 784 प्रकरण (दिनांक 28.02.2023 को) संबंधित जिला प्रशासन स्तर पर लम्बित हैं।

3– उक्त के दृष्टिगत छात्र–हित एवं शिक्षा हित में सम्यक विचारोपरान्त बी0एड0 पाठ्यक्रम के अतिरिक्त नये महाविद्यालयों/संस्थानों के खोले जाने तथा वर्तमान महाविद्यालयों/संस्थानों में स्नातक/स्नातकोत्तर स्तर के अतिरिक्त विषयों/पाठ्यक्रमों को प्रारम्भ करने हेतु शैक्षिक सत्र

2023–24 के लम्बित प्रस्तावों के ऑनलाइन निस्तारण हेतु अंतिम अवसर प्रदान करते हुये शासनादेश दिनांक 14.07.2022 द्वारा निर्धारित समय–सारिणी में निम्नवत् संशोधन किया जाता है:–

क्र0	कार्यवाही	समय-सीमा	संशोधित समय सीमा
1	विश्वविद्यालय में नये पाठ्यक्रमों हेतु अनापत्ति प्रस्ताव ऑनलाइन जमा करने की अन्तिम तिथि।	दिनांक 01 सितंबर से 31 दिसंबर, 2022 तक।	-
2	विश्वविद्यालय में ऑनलाइन जमा किये गये प्रस्तावों के भूमि संबंधी अभिलेखों का राजस्व विभाग से सत्यापन कराया जाना।	दिनांक 15 सितंबर से 31 जनवरी, 2023 तक। (1) अनापत्ति प्रस्ताव प्राप्त होने के तिथि से 07 दिन के अंदर संबंधित जनपद के जिलाधिकारी को सत्यापन हेतु प्रेषित कर दियां जायेगा। (2) तद्वोपरान्त जिलाधिकारी प्रस्ताव प्राप्त होने के अधिकतम् एक माह के अंदर सत्यापन रिपोर्ट संबंधित विश्वविद्यालय को ऑनलाइन प्रेषित कर देंगा।	दिनांक 17 मार्च, 2023 तक।
3	अनापत्ति आदेश ऑनलाइन निर्गत किया जाना।	दिनांक 15 फरवरी, 2023 तक।	दिनांक 25 मार्च, 2023 तक।
4	निरीक्षण मण्डल का गठन	दिनांक 28 फरवरी, 2023 तक। (1) अनापत्ति आदेश ऑनलाइन निर्गत होने के पश्चात संस्था द्वारा दिनांक 22 फरवरी तक निरीक्षण मण्डल का गठन के संबंध में आवेदन किया जायेगा। (2) तद्वोपरान्त विश्वविद्यालय द्वारा 28 फरवरी तक निरीक्षण मण्डल का गठन कर लिया जायेगा।	दिनांक 10 अप्रैल, 2023 तक। (1)अनापत्ति आदेश ऑनलाइन निर्गत होने के पश्चात संस्था द्वारा दिनांक 03 अप्रैल तक निरीक्षण मण्डल का गठन के संबंध में आवेदन किया जायेगा। (2)तद्वोपरान्त विश्वविद्यालय द्वारा 10 अप्रैल तक निरीक्षण मण्डल का गठन कर लिया जायेगा।
5	निरीक्षण मण्डल द्वारा निरीक्षण आख्या का प्रस्तुत किया जाना।	दिनांक 15 अप्रैल, 2023 तक।	दिनांक 31 मई, 2023 तक।

28/2/23

6	सदस्य-सचिव द्वारा आख्या को ऑनलाइन अपलोड किया जाना।	दिनांक 18 अप्रैल, 2023 तक।	दिनांक 05 जून, 2023 तक।
7	विश्वविद्यालय द्वारा सम्बद्धता ऑनलाइन प्रदान करने की अन्तिम तिथि	दिनांक 28 अप्रैल, 2023 तक।	दिनांक 15 जून, 2023 तक।
8	शासन में अपील करने की अन्तिम तिथि	दिनांक 15 मई, 2023 तक।	दिनांक 30 जून, 2023 तक।
9	शासन स्तर पर अपील निस्तारित करने की अन्तिम तिथि	दिनांक 15 जून, 2023 तक।	दिनांक 15 जुलाई, 2023 तक।

4— अनापत्ति एवं सम्बद्धता के अनिस्तारित आवेदन पत्र दिनांक 16 जुलाई को पोर्टल से स्वतः विलोपित कर दिये जायेगें तथा संस्था को अगले शैक्षिक सत्र हेतु नवीन आवेदन पत्र ऑनलाइन जमा करना होगा।

5— कृपया उक्त समय—सारणी का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित कराने का कष्ट करें। यदि समय—सारिणी का प्रभावी अनुपालन नहीं हुआ तो संबंधित अधिकारी के विरूद्ध दायित्व निर्धारण की कार्यवाही की जायेगी।

संलग्नक—उपरोक्तानुसार।

भवदीय,
24/4/23
(डा0 सुधीर एम0 बोबडे)
प्रमुख सचिव।

संख्या— 512(1)/सत्तर—2—2023 तद्दिनांक
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः—

1. प्रमुख सचिव, श्री कुलाधिपति, उ0प्र0।
2. समस्त कुलपति, राज्य विश्वविद्यालय, उ0प्र0।
3. समस्त क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी, उ0प्र0।
4. निदेशक, सूचना विभाग, उ0प्र0 लखनऊ।
5. वरिष्ठ तकनीकी निदेशक, एन.आई.सी., योजना भवन, लखनऊ।
6. अपर सचिव उच्च शिक्षा परिषद, इंदिरा भवन, लखनऊ को वेबसाइट पर प्रदर्शन हेतु।
7. निजी सचिव, अपर मुख्य सचिव, मा0 मुख्यमंत्री/निजी सचिव, मा0 मंत्री जी।
8. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
(एस0पी0 मिश्रा)
अनु सचिव।